फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गंगाबाई बनाम विपक्षी : श्री शांतिलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 200/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षी संख्या 1, 5, 6, 7 अनुपस्थित। प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी पर जवाब पेश नहीं किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब का अवसर बंद किया जाता है। मुल वाद में विपक्षी संख्या 1, 5, 6, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। आवाजे दिलवाई गई। अत: अपुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 5, 6, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आदेशिका दिनांक 21.10.2020 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया गया जाकर विपक्षी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। प्रकरण में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान पुर्व से रेकर्ड पर बताने से प्रतिवादी संख्या 8 के नाम के आगे मृतक अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 4 की माता श्रीमती कमला देवी एवं विपक्षी संख्या 5 से 9 के नाम अंकित है। श्रीमती कमलादेवी फौत हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 9 का राजस्व अभिलेख में हिस्से अनुसार हक अधिकार है एवं प्रार्थीया उपरोक्त आराजी में अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 से 8 प्रार्थीया को प्रार्थीया के हिस्से से जबरन बेदखल करने पर उतारू है एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र विड्रो किया जा चुका है। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार है प्रार्थीया द्वारा मूल वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जिससे

प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षीगण को पावन्द किये जाने से प्रार्थनाग्रस्त भूमि के मौके के परिवर्तन से बचा जा सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2070—73 की खाता संख्या नया 161 की आराजी नम्बर 1367/2 रकबा 12 बिस्वा भूमि में भू—प्रवन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।